न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 67/2018 **दायरा दिनांक : 07.05.2018**

उनवान

1— लाल चन्द पुत्र बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— वीरम चन्द पुत्र बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— रोडी बाई पुत्री बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— बादाम बाई पुत्री बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल पुत्र किशना, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— हजारी लाल पुत्र किशना, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— मांगी बाई पुत्री जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— व्यवस्थापक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया मनोहरथाना जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 68/2018 **दायरा दिनांक : 07.05.2018**

उनवान

1— लाल चन्द पुत्र बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2— वीरम चन्द पुत्र बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3— रोडी बाई पुत्री बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— बादाम बाई पुत्री बलदेव, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल पुत्र किशना, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— हजारी लाल पुत्र किशना, जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— मांगी बाई पुत्री जाति लोधा, निवासी कोलूखेड़ीकलां, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

4— व्यवस्थापक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया मनोहरथाना जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.10.2018

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 23/दावा/2015 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं

निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम कोलूखेड़ी कलां, तहसील मनोहरथाना के माल की नई खेवट खतौनी संख्या 416 पुरानी 376 की खसरा नम्बर 892 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 893 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 922 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 923 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 925 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 926 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 927 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 928 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 929 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 982 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 983 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 984 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 985 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 992 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 993 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1055 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1061 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1075 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1076 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1437 रकबा 3 बिस्वा कुल 20 किता की 39 बीघा 18 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। शामलाती खाते में आराजी होने के कारण आये दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है तथा काश्त करने में काफी कठिनाई आती है। अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.07.2015 को लोक अदालत में दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 15.06.2016 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 67/2018 प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई । अपील में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी

बाबत प्रकरण दिनांक 28.05.2015 को तलबी एवं जवाब प्रतिवादीगण में चल रही थी और सीधे ही दिनांक 01.07.2015 को प्रकरण में निर्णय पारित कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । पत्रावली तलबी में लम्बित थी । बिना अपीलांट के ज्ञान के लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । आदेशिका पर निर्णय लिखा गया है । दस्तावेजों को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है, साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं ली गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.04.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील संख्या 68/2018 अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है । उसमें यह अंकित गया गया है कि दिनांक 01.07.2015 को लोक अदालत में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जिसका कोई नोटिस या सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों एवं सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस देना चाहिए था और आपत्तियां सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलांट द्वारा अंतिम डिकी के बारे में कोई सहमति नहीं दी है और अपीलांट के आर्डरशीट पर हस्ताक्षर भी नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.04.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत एवं सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 14.07.2016 पेज 409, आर आर डी 2003(1) पेज 647 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । तहसील से जो बंटवारा प्रस्ताव आया है उसका अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट पटवारी और आई एल आर के द्वारा तैयार की गई है । रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा सलंग्न है, जो तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी और प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया जिसमें वादी नम्बर 1 मांगीलाल, वादी नम्बर 2 हजारी लाल और प्रतिवादी नम्बर 1 लाल चन्द, प्रतिवादी नम्बर 2 बीरम चन्द तथा प्रतिवादी नम्बर 4 बादाम बाई के निशानी अंगूठा एवं हस्ताक्षर हैं । किन्तु पत्रावली के गहन अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.04.2015 से पत्रावली वास्तु तलबी एवं जवाब में दिनांक 28.05.2015 नियत की गई थी । उसके तत्पश्चात सीधे ही बिना पक्षकारान सूचना दिये पत्रावली दिनांक 01.07.2015 को लोक अदालत में रखी जाकर आपसी सहमति से

राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी कर दी गई, जो सी पी सी के प्रावधानों के विरूद्ध है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जिसमें मुताबिक रेकार्ड वादीगण के हिस्से की 1/2 भाग आराजी तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से की 1/8, 1/8 भाग आराजी पृथक करने की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, किन्तु अंतिम डिक्री में वादीगण का 1/2 के स्थान पर 1/8 भाग दर्ज कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 67/2018 एवं 68/2018 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 15.06.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार बनाकर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर राजस्व मंडल नियम 18 से 21 की पालना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना में दिनांक 26.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा